10. घातक और गम्भीर दुर्घटनाओं के मामले में खान कर्मकारों के लिए क्षति-पूर्ति की योजना ।

11. एम्बुलैंस वैन की खरीद के लिए लौह अयस्क और चूना पत्थर और डोलोमाइट खान प्रबन्धन को सहायता अनुदान ।

(ख) आवास :

1. अपना घर स्वयं बनाओ योजना ।

2. समूह आवास योजना ।

3. टाईप–I आवास योजना ।

4. टाईप–II आवास योजना ।

(ग) शिक्षा:

1. खान कर्मकारों के स्कूल और कालेज जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति ।

2. एक सेट ड्रैस खरीदने के लिए सहायता ।

3. स्लेटें/पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए वित्तीय सहायता ।

4. स्कूल बस को खरीद के लिए अनुदान ।

5. पुस्तकालय और वाचनालयों की स्थापना ।

6. पुस्तकालयो को अनुदान ।

7. स्कूलों के लिए फर्नीचर उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान ।

8. दोपहर का भोजन ।

9. भोजन व्यवस्थाओं वाले छात्रावास ।

(घ) मनोरंजन :

1. सामाजिक/सांस्कृतिक/खेल-कूद क्रिया-कलाप ।

2. कर्मकारों के आवागमन के लिए बसें ।

3. दृश्य श्रव्यसैटो/सिनेमा वैनों/फिल्म प्रदर्शनियों की व्यवस्था ।

4. पर्यटन और अध्ययन दौरे ।

5. टी.वी. सैटों की आपूर्ति ।

6. बहुउद्देश्यीय संस्थानों की स्थापना ।

7. कल्याण केन्द्रों की स्थापना ।

8. एम.पी. आई. डी. एम. पी. आई कल्याण केन्द्रों को अनुदान ।

9. खेल-कूद के मैदान ।

10. होलीडे होम्स ।

(ङ) जल आपूर्ति :

1. कुओं की खुदाई ।

2. लघु खान मालिकों को सहायता ।

3. बड़ी खानों के लिए जल आपूर्ति योजना ।

**रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या**

6320. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार आवेदकों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या सरकार रिक्त पदों के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा उन आवेदकों के नाम भेजे जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) (क) 31-1-1994 की स्थिति के अनुसार देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले, यह अनिवार्य नहीं है कि वे सभी बेरोजगार हों, 362.93 लाख थे ।

(ख) और (ग) विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार नियोजक प्राधिकारी को उनके द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्दर उपयुक्त कर्मकार उपलब्ध कराये जायें ।

**Memorandum accepting mergers and amalgamations for reviving public sectors**

6323. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the representatives of major central trade unions in the country have submitted a memorandum to the Minister accepting mergers and amalgamations as a means of reviving the ailing public sector units in West Bengal; and

(b) if so, the details of memorandum and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) In the meeting of the Tripartite Industrial Committee on Engineering Industry held on 4.2.94 and 14-2-94 cases of the following fifteen sick Central Sector Undertakings (CPSUs) were considered:—

1. Heavy Engineering Corporation (HEC).
2. Mining and Allied Machinery Corporation (MAMC).
3. Cycle Corporation of India Limited (CCIL).
4. Nagaland Pulp and Paper Corporation (NPPC)
5. Mandya National Paper Mills (MNPM)
6. Scooter India Limited (SIL)
7. Triveni Structurals Limited (TSL)
8. Bharat Process and Mechanical Engineering Limited (BPMEL)
9. Bharat Opthalmic Glass Limited (BOGL)
10. Bharat Brakes and Valves Limited (BBVL)
11. Tannery and Footwear Corporation Limited (TFCL)
12. National Instruments Limited (NIL)
13. Weighbird India Limited (WIL)
14. Braithwaite and Company Limited (BCL)
15. Tyre Corporation of India Limited (TCIL)

9 out of these 15 CPSUs are located in West Bengal. Based on the decision taken in the said meeting, trade unions have so far submitted their consolidated proposals for revival of 14 out of 15 CPSUs for consideration of the Government. The summary of the proposals are at Statement (See below). These proposals have been forwarded to the Department of Heavy Industry for being incorporated in their Notes for the Cabinet for finalising Government's stand in respect of each CPSU.

**Statement**

*The summary of the proposals given by the Central trade union organisations in respect of Central Public Sector Undertakings considered by the Tripartite Industrial Committee on Engineering Industry.*

1. Government should continue to discharge its responsibility as promoter of the CPSUs.
2. Government should consider financial restructuring of the CPSUs.
3. Banks should provide financial support to the sick units.
4. Excise duty reliefs should be given.
5. Sales tax reliefs from State Govt. should be given.
6. Marketing support to enable capacity utilisation and fulfilment of